अंकेक्षण को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धान्त

मानक अंकेक्षण व्यवहारों की आवश्यकता क्यों है ?
विभिन्न संस्थाओं के भिन्न व्यवसायों के अंकेक्षण में, विभिन्न अंकेक्षकों के अंकेक्षण का तरीका एक समान हो, इस हेतु कुछ सामान्य अंकेक्षण सिद्धान्तों को निर्धारित करने की आवश्यकता हुई, ताकि विभिन्न अंकेक्षणों में अंकेक्षक के तरीकों को मानकता प्रदान की जा सके।

मानक अंकेक्षण व्यवहार का पालन कब जरुरी है ?
मानक अंकेक्षण व्यवहार की प्रस्तावना के अनुसार जब भी एक स्वतंत्र अंकेक्षण किया जा रहा हो, जिस अंकेक्षण का उद्देश्य वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र राय कायम करने का हो, मानक अंकेक्षण व्यवहारों का पालन आवश्यक हे। जब भी अंकेक्षक इन व्यवहारों का पालन नहीं कर पा रहा हो तो उसे अपनी रिपोर्ट में कारण सहित तथ्य का उल्लेख करना चाहिए।

प्र. 1 यह मानक अंकेक्षण वयवहार किन सिद्धान्तों का वर्णन करता है ?
उ. यह मानक अंकेक्षण व्यवहार उन आधारभूत सिद्धान्तों का वर्णन करता है जो अंकेक्षक के पेशेवर उत्तदायित्वों का नियंत्रित करते हैं। इन सिद्धान्तों का पालन अनिवार्य है जब भी कभी अंकेक्षण किया जा रहा हो।
प्र. 2 अंकेक्षण की SA-200 ने किस प्रकार परिभाषित किया है ?
उ. SA-200 के अनुसार ष्अंकेक्षण किसी संस्था की (चाहे वह संस्था लाभ कमानेवाली या गैर लाभकारी उद्यम है, आकार में बड़ा है या छोटा एवं उसका वैधानिक स्वरुप चाहे जो भी हो) वित्तीय सूचनाओं का निष्पक्ष परीक्षण है जो वित्तीय सूचनाओं पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से किया जाता है।
प्र. 3 SA-200 में वर्णित आधारभूत सिद्धान्तों का वर्णन करें ?
उ. SA-200 के अनुसार नौ आधारभूत सिद्धान्त हैं जो अंकेक्षण को नियंत्रित करते हैं।
(1) ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता तथा स्वतंत्रता
(2) गोपनीयता
(3) कुशलता तथा दक्षता
(4) अन्य द्वारा संपादित कार्य
(5) प्रपत्रीकरण
(6) नियोजन
(7) अंकेक्षण साक्ष्य
(8) लेखांकन प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण
(9) अंकेक्षण निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन

(1) **ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता तथा स्वतंत्रता :**
अंकेक्षक के अंकेक्षण करने का तरीका स्पष्ट, ईमानदारी तथा कर्तव्यनिष्ठता से परिपूर्ण होना चाहिए। अंकेक्षक को अपनी स्वतंत्रता इस प्रकार बरकरार रखनी चाहिए ताकि कोई हित अंकेक्षक पर हावी न हो सके। अंकेक्षक को स्वतंत्र रहना चाहिए एवं आचरण में भी स्वतंत्रता परिलक्षित होना चाहिए, क्योंकि हित, स्वतंत्रता एवं उद्देश्यपरकता के साथ असंगत है।

(2) **गोपनीयता :–**
अपने कार्य के दौरान संस्था से सम्बन्धित कोई भी सूचना तृतीय पक्ष को नहीं बतानी चाहिए, ऐसी अभिव्यक्ति अंकेक्षक तभी कर सकता है जबकि
– ऐसा करने की पूर्वानुमति क्लाइंट ने दे दी हो या
– ऐसा करना पेशेवर उत्तरदायित्व हो या
– ऐसा करना कानूनी उत्तरदायत्वि हो।

(3) **कुशलता तथा दक्षता :**

SA-200 के अनुसार जिन व्यक्तियों को अंकेक्षण में पर्याप्त प्रशिक्षण, अनुभव तथा दक्षता हासिल हो, को ही अंकेक्षण संपादित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। SA-200 के अनुसार एक अंकेक्षण में ये कुशलता तथा दक्षता सामान्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी ज्ञान एवं विशिष्ट शिक्षा के सम्मिश्रण से प्राप्त होती है। ऐसी शिक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण कर प्राप्त की जा सकती है। कुशलता को पेशेवर व्यक्ति के उचित मार्गदर्शन से निखारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक अंकेक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्ब्।प् द्वारा जाती घोषणाओं के साथ–साथ वाणिज्य क्षेत्र में हो रहे विकासों से पूरी तरह अवगत रहें।

(4) **अन्य व्यक्तियों द्वारा संपादित कार्य :**

SA-200 के अनुसार यदि अंकेक्षक अपने सहायकों को कार्य सौंपता या अन्य अंकेक्षकों या विशेषज्ञों के द्वारा संपादित कार्यो को अपने उपयोग में लेता है, ऐसी स्थिति में भी वित्तीय विवरणों पर उचित राय व्यक्त करने सम्बन्धित उत्तरदायित्व किसी भी दशा में कम नहीं होगा।

SA-200 के अनुसार अंकेक्षक दूसरों के द्वारा किए गए कार्य पर विश्वास कर प्रयोग कर सकता है, बशर्ते उसने उचित कुशलता तथा सावधानी से उस कार्य का मूल्यांकन कर लिया हो एवं उसके पास अविश्वास का कोई कारण मौजूद न हो। यदि कम्पनी अधिनियम 1956 में शाखा अंकेक्षक को अपनी मूल रिपोर्ट में ऐंसे तथ्य का उल्लेख कर देना चाहिए। जब भी अंकेक्षक अपने सहायकों या अधीनस्थों के कार्य का उपयोग करे, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधीनस्थों एवं सहायकों को भली भाँति निर्देशित तथा पर्यवेक्षित करेगा।

(5) **प्रपत्रीकरण :**

SA-200 के अनुसार एक अंकेक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन विषयों का प्रपत्रीकरण करेगा, जो यह साक्ष्य देने हो कि अंकेक्षण आधारभूत सिद्धान्तों का पालन करते हुए किया गया है।

(6) **नियोजन :**

अंकेक्षण को उचित समय–सीमा में तथा उचित दक्षता से संपादित करने हेतु नियोजन आवश्यक है। अंकेक्षक की योजना का मुख्य आधार क्लाइंट के व्यवसाय का ज्ञान होगा।

वैसे तो योजनाएँ भिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न–भिन्न होती है परंतु सामान्यतः योजना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :–

– नियोक्ता की लेखांकन प्रणाली, नीतियो तथा सम्बन्धित आंतरिक नियंत्रण प्रविधियों का ज्ञान।
– आंतरिक नियंत्रण पर किए जा सकने वाले विश्वास की सीमा का निर्धारण।
– अंकेक्षण विधियों की प्रकृति, समय–सीमा तथा गहनता का निर्धारण तथा
– किए जाने वाले कार्य का समन्वय।

अंकेक्षण के दौरान आवश्यकतानुसार योजना में संशोधन एवं परिवर्तन संभव होना चाहिए।

(7) **अंकेक्षण साक्ष्य :**

अंकेक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह Substantive एवं Complianve विधियों के जरिए पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करेगा जिनके आधार पर अंकेक्षण निष्कर्ष निकाला जा सकें। ये ही निष्कर्ष अंकेक्षण रिपोर्ट व्यक्त की जाने वाली राय का आधार बनते हैं।

Compliance विधि कर प्रयोग अंकेक्षक उन साक्ष्यों को जुटाने में करता है, जो इस बात का प्रमाण देते हों कि आंतरिक नियंत्रण विश्वास करने योग्य स्थिति में लागू है। Substantive विधि ऐसे अंकेक्षण साक्ष्यों को जुटाने में सहायता करती हैं जो इस बात का प्रमाण देते है कि लेखांकन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ें वैध, शुद्ध तथा पूर्ण हैं। ये विधि सामान्यतया निम्नलिखित रुपों में होती हैं :–

1) सौदों तथा शेषों के विवरणों का परीक्षण।
2) महत्वपूर्ण अनुपातों एवं प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कर विचलनों का विश्लेषण करना।

(8) **लेखांकन तंत्र तथा आंतरिक नियंत्रण :**

व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति को देखते हुए उचित आंतरिक नियंत्रण की सहायता से एक अच्छी लेखांकन प्रणाली विकसित करना प्रबंध की जिम्मेदारी है। अंकेक्षक से उपेक्षा की जाती है कि वह लेखांकन प्रणाली की पूर्णता के संदर्भ में उचित अंकक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लेगा कि कोई सौदा लिखित होने से छूटा तो नहीं है।

आंतरिक नियंत्रण सामान्यतः अंकेक्षक के लेखांकन प्रणाली पर विश्वास की सीमा के निर्धारण में सहायक होता है।

यदि अंकेक्षक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह कुछ आंतरिक नियंत्रणों पर विश्वास कर सकता है तो वह अपनी Substantive विधियों की व्यापकता को कम कर अंकेक्षण की दक्षता बढ़ा सकता हैं।

(9) **अंकेक्षण निष्कर्ष तथा रिपोर्ट :**

अंकेक्षण द्वारा रिपोर्ट में राय व्यक्त करने से पूर्व यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि राय से सम्बन्धि निष्कर्ष के आधार में पर्याप्त में उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लिए गए है।

अंकेक्षक के निष्कर्षो में सामान्यतया निम्नलिखित शामिल होते हैं कि क्या –

1) वित्तीय विवरण अनवरत लागू की गई मान्य लेखांकन नीतियों को अपनाकर बनाए गए हैं।
2) वित्तीय विवरण सम्बन्धित वैधानिक मान्यताओं तथा नियमों का पालन करते हुए बनाए गए हैं।
3) सभी महत्वपूर्ण विषयों का वैधानिक आवश्यकताओं में मद्देनजर प्रकटीकरण कर दिए गए हैं।

अंकेक्षक की रिपोर्ट में राय की अभिव्यक्ति स्पष्ट तौर पर लिखित में होनी चाहिए। जिस अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट दी जा रही है उसके द्वारा अपेक्षित फार्मेट (यदि है?) में रिपोर्ट दी जानी चाहिए।

अंकेक्षक द्वारा दी गई एक अमर्यादित राय (Unqualified opinion) यह संकेत देता है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर अंकेक्षक संतुष्ट है।

यदि अंकेक्षक एक मर्यादित, विपरीत राय या राय का खण्डन देता है उसे अपनी रिपोर्ट में उन कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है जिनके कारण वह ऐसी राय व्यक्त कर रहा है।